वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मिसल तल्बी (शामिल हल वादपत्र) स्वीकार किया जाने पर फाइली ईकतारी तारीख पेशी से तल्ख की जाकर आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि हस्तगत प्रार्थना से सम्बन्धित हल वादपत्र में पक्षकारान के मध्य

हस्ताक्षर व तारीख मुकदमा की इस कदम की तामील व जारी हुए
समझौता हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना अमानित के अधीन अर्थ प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की कार्यवाही प्रदान करें। क्योंकि पक्षकारान के मध्य समझौता हो चुका है। अतः वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अमानित में स्वीकार किया अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की कार्यवाही प्रदान की जाती है। हस्तगत प्रार्थना पत्र में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः कार्यवाही प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पक्षकारों [illegible] कुमार [illegible] नम्बर से लिया गया तथा [illegible] दफ्तर है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (राजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर) उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)